प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –783/2023

अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।

—— **वादी**

बनाम्

1. सुभाष पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. सुनिल पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
3. कुलदीप पुत्र लक्ष्मणदास जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
4. लक्ष्मणदास पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
5. सुमन पुत्री लक्ष्मणदास जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
6. कविता पुत्री लक्ष्मणदास जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
7. कृष्ण कुमार पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
8. सुनिता पुत्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**

श्री मनीराम सरावग अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांकः** 20/5/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा 7 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 452/409 की कुल 9.3610 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि मृतक सुखराम पुत्र मामराज के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सुखराम पुत्र मामराज के नाम से दर्ज है जो की वादी का पिता है। सुखराम पुत्र मामराज का देहान्त हो चुका है। सुखराम पुत्र मामराज के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 8 है जो सुखराम पुत्र मामराज के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है।

प्रतिवादी स0 4 जो की प्रतिवादी स0 3 का पिता है उपरोक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहता है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है अपने पुत्र के पक्ष में परित्याग कर चुका है तथा प्रतिवादीया स0 5 व 6 जो की प्रति[illegible]0 3 की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी [illegible] है अपने भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। प्रतिवादी स0 7 व 8 भी वाद भूमि में हक हिस्सा नही लेना [illegible] है अपना जो

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:22:46 IST
Reason: SelfAttested

भी हक हिस्सा है अपने पुत्र/भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। प्रतिवादी स0 4 ता 8 के हक त्याग के बाद मृतक सुखराम के नाम दर्ज भूमि में वादी 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी स0 1 ता 2 संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी स0 3 1/3 हिस्सा पर काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 8 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी स0 9 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 का इकबाल/राजीनामा पेश होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 8 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 7 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 452/409 की कुल 9.3610 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि मृतक सुखराम पुत्र मामराज के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा मृतक सुखराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 8 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 8 को कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 8 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:22:46 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक [illegible]

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 7 बारानी तहसील

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 452/409 की कुल 9.3610 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि मृतक सुखराम पुत्र मामराज के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक सुखराम पुत्र मामराज का नाम कलमजन किया जाकर वादी को 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी स0 1 व 2 को संयुक्त 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी स0 3 को 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 20/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–बरवाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:22:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –783 / 2023

अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।

— वादी

बनाम्

1. सुभाष पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. सुनिल पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
3. कुलदीप पुत्र लक्ष्मणदास जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
4. लक्ष्मणदास पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
5. सुमन पुत्री लक्ष्मणदास जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
6. कविता पुत्री लक्ष्मणदास जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
7. कृष्ण कुमार पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
8. सुनिता पुत्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 783 सन 2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 7 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 452 / 409 की कुल 9.3610 हैक्ट भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि मृतक सुखराम पुत्र मामराज के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक सुखराम पुत्र मामराज का नाम कलमजन किया जाकर वादी को 1 / 3 हिस्सा, प्रतिवादी स0 1 व 2 को संयुक्त 1 / 3 हिस्सा व प्रतिवादी स0 3 को 1 / 3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.5.23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:22:46 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–बरवाली